

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1396/2012/अलवर.

2. अपील संख्या – 1397/2012/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ताराचंद नरेशचंद, बलजी राठौर की गली, अलवर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या क्रमशः 158 व 157/RVAT/2010-11/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 02.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-अलवर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 35 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 11.10.2010 को अपास्त किया है। दोनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दिनांक 19.03.2008 को किया जाकर व्यवहारी द्वारा घोषित क्षमता से अधिक माल उत्पादित किये जाने के आधार पर मांग सृजित की गयी, जिसकी सूचना वाणिज्यिक कर विभाग को भी दी गयी। उक्त सर्वेक्षण/कार्यवाही के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 08.08.2008 पारित करते हुए अधिक उत्पादित माल में उत्पाद शुल्क को जोड़ते हुए तदनुसार उचन्ति बिक्री अवधारित की जाकर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.10.2008 से स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर स्वतंत्र जांच की जाकर पुनः आदेश पारित किये जावें।

लगातार.....2

3. अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों की अनुपालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जवाब के मददेनजर पुनः विवादित कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.10.2010 को पारित किये गये, जिसमें यह माना गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपनी मशीनों के द्वारा 60 पाउच प्रति मिनट उत्पादन घोषित कर रखा है, जबकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की जांच में प्रति मिनट 80 पाउच प्रति मिनट उत्पादन किया जाना पाया गया था, अतः 20 पाउच प्रति मिनट अधिक उत्पादन के आधार पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2011 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की जांच में यह पाया गया था कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की मशीनों द्वारा 60 पाउच प्रति मिनट के स्थान पर 80 पाउच प्रति मिनट की दर से उत्पादन किया जाता है, जबकि प्रत्यर्थी द्वारा 60 पाउच प्रति मिनट के अनुसार ही उत्पादन की घोषणा की गयी है। ऐसी स्थिति में 20 पाउच प्रति मिनट के अनुसार गणना करते हुए आलौच्य अवधियों के अतिरिक्त उत्पादन पर तदनुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दिनांक 13.11.2007 से 13.03.2008 की अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी की फर्म का कई बार निरीक्षण किया गया था, किन्तु उक्त निरीक्षणों में उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। दिनांक 19.03.2008 को किये गये निरीक्षण में भी कोई अनियमितता नहीं पायी गयी एवं बिना किसी आधार के अतिरिक्त उत्पादन मानते हुए उत्पाद शुल्क का अपवंचन माना गया। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, जयपुर-प्रथम (लॉ ब्रांच) के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता को लिखे गये पत्र दिनांक 28.04.2011 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "यह प्रकरण अभियोजन के लिये योग्य नहीं होने के कारण व्यवहारी के विरुद्ध आर्थिक अपराध न्यायालय के समक्ष वाद दायर नहीं किये

जाने का निर्णय लिया गया है। अतः तदनुसार माननीय आर्थिक न्यायालय को सूचित किया जावे।" उक्त पत्र के आधार पर माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 24.08.2011 पारित करते हुए प्रत्यर्थी का प्रकरण समाप्त करते हुए अंकित किया गया है कि "चूंकि परिवादी पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध कोई परिवाद पेश नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अभियुक्त श्री ताराचन्द जैन को धारा 9 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत आरोपित नहीं किया जा सकता है। अतः उसे दोषमुक्त किया जाता है तथा न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत मुचलका निरस्त किये जाते हैं।" ऐसी स्थिति में जब स्वयं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा ही प्रकरण समाप्त किया जा चुका है, तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के सर्वेक्षण के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित मांग स्वतः अपास्तनीय हो जाती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की गयी है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने कस्टम्स, एक्साईज एण्ड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 15.02.2017 की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा भी उक्त प्रकरण प्रत्यर्थी व्यवहारी के पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा स्वयं द्वारा कोई सर्वेक्षण/जांच नहीं की गयी है। केवल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के सर्वेक्षण के आधार पर समस्त कार्यवाही की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की इस अवधारणा के आधार पर कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में अधिक माल का उत्पादन किया गया है, अतः अधिक उत्पादित किये गये माल का उचन्त विक्रय किया जाना अवधारित करते हुए तदनुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है। जबकि यह निर्विवादित है कि विक्रय कर का आरोपण केवल माल के विक्रय पर ही किया जा सकता है, ना कि माल के उत्पादन पर। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी जांच से यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा तथाकथित माल का उचन्त रूप से विक्रय किया गया है। हस्तगत प्रकरण में समस्त कार्यवाही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के जिस सर्वेक्षण के आधार पर की गयी है, उक्त समस्त कार्यवाही को स्वयं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा अभियोजन योग्य


लगातार.....4

नहीं पाया गया है एवं इस बाबत कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, जयपुर-प्रथम (लॉ बेंच) की टिप्पणी के आधार पर अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) जयपुर द्वारा प्रकरण समाप्त किया जा चुका है, साथ ही कस्टम्स, एक्साईज एण्ड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा भी अपील संख्या 1399, 1400, 1401/2010 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2017 द्वारा उक्त प्रकरण समाप्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में जब मूल प्रकरण ही समाप्त हो चुका है तब उक्त सर्वेक्षण के आधार पर सृजित की गयी मांग स्वतः समाप्त किये जाने योग्य पायी जाती है।

8. उक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार की विधिक/तथ्यात्मक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।


(खेमराज)
अध्यक्ष